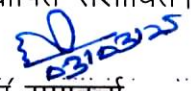


न्यायालय अपर समाहर्ता, पाकुड़

आर० एम० पी० वाद सं०-58/2011-12

(95/2002)

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़-बनाम-मनोरमा देवी
आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के ब में टिप्पणी तारी
01	02	03
	यह वाद विद्वान उपायुक्त पाकुड़ के न्यायालय आर०एम०पी० वाद सं०-95/2002 में दिनांक-30.12.2011 को पारित आदेश द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत वाद पाकुड़ अंचल के मौजा-मालपहाड़ी के खाता सं०-45/74 के दाग सं०-226 अंतर्गत रकवा-05.07 ऐकड़ भूमि का मूल विपक्षी सियाराम भगत, पाकुड़ के नाम अवैध रूप से राजस्व पंजी-॥ में सृजित जमाबंदी के विलोपन से संबंधित है। तत्कालीन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा स्था० रा० वि० वाद सं०-50/98-99 में दिनांक-24.11.2000 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत जमाबंदी को विलोपित करने की अनुशंसा की गई है। बाद में एक मनोरमा देवी, पति-सियाराम भगत, पाकुड़ के द्वारा पक्षकार बनाने संबंधी आवेदन दिनांक-26.12.2002 को दिया गया। संबंधित पक्षकार को अपने दावे के समर्थन में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् विपक्षी उपस्थित तो हुए परन्तु उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में किसी प्रकार का कोई भी कागज/दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया। अंतिम नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। नोटिस के तामिला के बाद आर०के० झा, अधिवक्ता, पाकुड़ के द्वारा एक आवेदन दाखिल किया गया एवं नवीन वकालतनामा दाखिल करने की अनुमति की मांग की गयी। यह वाद लम्बे समय से विचाराधीन है और आज तक ना तो कारणपृच्छा दाखिल किया गया है और ना ही दावे के समर्थन में कोई कागजात/दस्तावेज दाखिल किया गया है। अभिलेख में उपलब्ध निबंधित खनन पट्टा दस्तावेज 3144, दिनांक-31.05.1994 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत दाग की भूमि पर पत्थर खनन हेतु खनन पट्टा 10 वर्षों के लिए दिया गया था। सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्नगत भूमि अनाबादी खाते की सरकारी भूमि है। प्रश्नगत भूमि पर मूल विपक्षी को खनन पट्टा दिया गया था जिसकी अवधि पूर्ण हो चुकी है। खनन पट्टा के आधार पर राजस्व पंजी-॥ में सृजित जमाबंदी बिल्कुल अवैध है। जिसका सरकार के हित में विलोपन किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर मूल विपक्षी सियाराम भगत, पाकुड़ के नाम से राजस्व पंजी-॥ में सृजित जमाबंदी को विलोपित करने का आदेश दिया जाता है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ को आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर प्रश्नगत अवैध जमाबंदी को विलोपित करते हुए उसे सरकारी कब्जे में ले लें एवं तदसंबंधी प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित संशोधित।  अपर समाहर्ता, पाकुड़।  अपर समाहर्ता, पाकुड़।	